जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

कनिष्ठ अभियन्ता निलम्बित

जयपुर, 16 मई। जयपुर डिस्कॉम द्वारा गुरुवार को एक आदेश जारी कर कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कनिष्ठ अभियन्ता–डीग श्री रामजीत सिंह को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.गुप्ता ने बताया कि श्री रामजीत सिंह बिना पूर्व सूचना डीग मुख्यालय छोड़ कर चले गए, जिससे आंधी–बरसात से प्रभावित विद्युत आपूर्ति के व्यवधान के निराकरण में बाधा रही।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के कार्यालय में रहेगा।

––––

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 882/2019